बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त – भारतीय रिजर्व बैंक, बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय के औषधालयों द्वारा जारी क्रेडिट स्लिप के आधार पर बैंक औषधालयों एवं सेवानिवृत्त/सेवारत कर्मचारियों/पात्र आश्रितों को घर – द्वार पर औषधियों की आपूर्ति हेतु ई-निविदा - 2026-27

ई-निविदा सं: RBI/Bangalore_Regional_Office/Others/1/25-26/ET/997[Supply_of_drugs_&_medicines]

उपर्युक्त ई-निविदा के लिए बोली-पूर्व बैठक फ़रवरी 19, 2026 को अपराह्न 03:00 बजे बैठक कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय स्थापना अनुभाग, बेंगलुरु-560 001 में आयोजित की गई। सहभागियों का विवरण नीचे सूची में दिया गया है:

क्र.सं.	फर्म का नाम	फर्म के प्रतिनिधि
01	सैंट मार्थाज़ हॉस्पिटल	श्री शाडरॉक गुणसीलन

क्र.सं.	बैंक के अधिकारी	पदनाम
01	श्री अविनंदन	सहायक महाप्रबंधक
02	श्री सुप्रिय बनर्जी	प्रबंधक
03	श्रीमती रुचिता डीसौजा	सहायक प्रबंधक

प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए प्रश्न और बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण नीचे सारणी में दिए गए हैं:

क्र.सं.	बोली लगाने वाले द्वारा पूछा गया प्रश्न	प्रश्न के लिए दिया गया स्पष्टीकरण
01	टेंडर और प्रक्रिया का विवरण	टेंडर दस्तावेज़ के खंड II एवं III को देखने के लिए सूचित किया गया।
02	चेरिटेबल संस्थाओं के लिए ईएमडी पर कोई छूट?	ऐसा कोई भी खंड विचाराधीन टेंडर दस्तावेज़ में शामिल नहीं किया गया है।
03	पिछले पांच सालों में किए गए मेडिसिन सप्लाई के काम का पूर्व अनुभव आवश्यक?	टेंडर दस्तावेज़ के खंड IV- पात्रता मानदंड को देखने के लिए सूचित किया गया।
04	वैध लाइसेंस की जानकारी?	बोलीदाता को टेंडर दस्तावेज़ के खंड IV- पात्रता मानदंड के पैराग्राफ (a) को देखने के लिए सूचित किया गया।

05	दवा वितरण की समय सीमा/विलंबित डिलिवरी भुगतान पर जुर्माना?	बोलीदाता को टेंडर दस्तावेज़ के खंड V- कार्य का दायरा के पैराग्राफ 1(f) को देखने के लिए सूचित किया गया।
06	निर्दिष्ट ब्रांड की दवाइयाँ आवश्यक हैं? प्रतिस्थापन की अनुमति है?	बोलीदाता को टेंडर दस्तावेज़ के खंड V- कार्य का दायरा के पैराग्राफ 10 को देखने के लिए सूचित किया गया।

समापन टिप्पणी के दौरान, प्रतिभागी को सूचित किया गया कि बोली लगाने से पहले निविदा दस्तावेज़ में दिए गए अनुदेशों को ध्यान से पढ़े। यह भी दोहराया गया कि केमिस्टों को निविदा दस्तावेजों में निर्धारित सभी संलग्नक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा, निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित समय-सीमा का सख्ती से पालन करने की भी सूचना दी गई।

टिप्पणी:

i) बोली-पूर्व बैठक के उपरोक्त विवरण बोली दस्तावेज़/करार का हिस्सा बनेंगे।

ii) निविदा दस्तावेज़ के शेष नियम एवं शर्तें तथा विनिर्देश पूर्ववत बने रहेंगे।

iii) उपरोक्त संशोधन/स्पष्टीकरण सभी इच्छुक केमिस्टों की जानकारी के लिए जारी किए जा रहे हैं।

iv) फर्म द्वारा बोली प्रस्तुत करना निविदा दस्तावेज़ और ऊपर दिए गए संशोधनों/स्पष्टीकरणों के अनुरूप माना जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
कर्नाटक